316

संख्या–402/XVIII-(2)/F/14-12(07)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, देहरादून
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग **देहरादूनः दिनांक** 14 मार्च, 2014

विषयः– **दैवीय आपदा/सी.एस.एस. (पुनर्निर्माण) मद के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

चूँकि वर्ष 2013 में आयी भीषण आपदा के कारण जनपद उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंहनगर के विभिन्न नदियों के किनारे गम्भीर कटाव के कारण जन–जीवन गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है, और चूँकि यदि तत्काल बाढ़ सुरक्षा कार्य इस क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं किये जाते हैं तो उक्त जनपदों के नदियों से सटे क्षेत्रों में गम्भीर जन एवं सम्पत्ति हानि की प्रबल सम्भावना है। अतः इन क्षेत्रों को सम्भाव्य जन एवं सम्पत्ति हानि की स्थिति से बचाने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। चूँकि आगामी मानसून हेतु समय कम है और अभी भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है, और बाढ़ सुरक्षा निर्माण विषय भी तात्कालिकता का है और जनजीवन की रक्षा हेतु सुरक्षा निर्माण तात्कालिक रूप से किये जाने अतिआवश्यक हैं। अतः दैवी आपदा बाढ़/सी.एस.एस. पुनर्निर्माण हेतु गठित हाई पॉवर कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 22.02.2014 में प्राप्त अनुमोदन के कम में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी.एस.एस. (पुनर्निर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में बाढ़ सुरक्षा की 52 संख्या योजनायें, लागत ₹ 56690.83 लाख (₹ पांच सौ छियासठ करोड़, नब्बे लाख, तिरासी हजार मात्र) के सापेक्ष ₹ 566.91 लाख (₹ पांच करोड़, छियासठ लाख, इक्यानवें हजार मात्र) की धनराशि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

ii. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

iii. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

iv. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

v. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

vi. प्रश्नगत योजनाओं पर नियमानुसार सिंचाई विभाग अन्तर्गत विभागीय टी.ए.सी. सहित टी.ए.सी. वित्त विभाग व व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

vii. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

viii. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ix. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

x. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

xi. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

xii. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई द्वारा प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xiii. धनराशि आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

xiv. उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

xv. प्रश्नगत योजनाओं पर दूसरी किस्त उस दशा में अवमुक्त की जायेगी, जब योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा सभी स्वीकृतियाँ भारत सरकार आदि से प्राप्त कर ली गयी हैं। सचिव, सिंचाई इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर युद्ध स्तर पर सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त कर लेंगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 के लेखा शीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य –800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत सिंचाई हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ.प.सं.–145 P/XXVII(5)/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–402(1)/XVIII-(2)/F/14-12(07)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा. सिंचाई मंत्री जी को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. सम्बन्धित, कोषाधिकारी।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/5, उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
12. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, द्वारा विभागाध्यक्ष, सिंचाई, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव